पीठः- एस.एस. सोधी, न्यायाधिपति

विद्या देवी और अन्य- अपीलार्थी

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,- प्रत्यर्थी

आदेश से प्रथम अपील संख्या 202 of 1977

19 सितंबर, 1983

मोटर वाहन अधिनियम (IV of 1939)- धारा 110-ख और 110-घ- प्रतिनियुक्त दायित्व- वाहन चालक द्वारा वाहन को उसका इंजन चालू छोड़ राजमार्ग के किनारे छोड़ देना- अनधिकृत व्यक्ति द्वारा वाहन में चढ़ जाना और उसे चलाकर दूर ले जाना- वाहन बच्चे के ऊपर से गुजरता है, जो दुर्घटना के परिणामस्वरूप मर जाता है - वाहन मालिक- क्या मुआवजे के भुगतान के लिए प्रतिनियुक्त रूप से उत्तरदायी है।

अभिनिर्धारित किया गया कि यह नहीं कहा जा सकता कि कानूनी रूप से वाहन को राजमार्ग पर बिना देखे छोड़ने वाले व्यक्ति को किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेपकारी कार्य के माध्यम से नुकसान के लिए किसी भी परिस्थिति में जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती हैं कि उसे यह स्वीकार करना चाहिए कि वह वाहन को चालू करने के लिए दूसरे को प्रलोभन या निमंत्रण दे रहा था और उस खतरे के परिणामस्वरूप दूसरों को चोट लग सकती है। हालाँकि, वह कार्य जो शरारत का कारण बनता है, वह ऐसा होना चाहिए जिसका वह ठीक से अनुमान लगा सके। इस प्रकार, जहां किसी वाहन के चालक ने पानी पीने के लिए जाने पर इंजन को चालू छोड़ दिया था और इस बीच एक अनधिकृत व्यक्ति वाहन चलाता है जिससे मृतक को घातक चोटें आती हैं, तो इस निष्कर्ष से बचा नहीं जा सकता है कि वाहन का चालक और उसका मालिक भी वास्तव में दावेदारों को मुआवजे के भुगतान के लिए अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होगा।

(जिम्मन 8 और 9)

श्री शिव दास त्यागी, मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण, गुड़गांव, के न्यायालय के आदेश दिनांक 18 मार्च, 1977 से प्रथम अपील, जिसमें जानिक ललित और विश्वनाथ की याचिका को खारिज कर दिया गया था और पक्षकारों को अपना खर्च वहन करने के लिए छोड़ दिया गया था और कुमारी सरोज के कानूनी प्रतिनिधियों, अर्थात् श्रीमती. विद्या देवी और श्री चंदन सिंह को प्रत्यर्थी संख्या 1 के विरुद्ध ख़र्चे सहित 8,000 रुपये का पंचाट जारी किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 के विरुद्ध उनका दावा नामंज़ूर किया गया।

उपस्थित:- अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री एम.एस. लिब्रहान।

प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 की ओर से हरभगवान सिंह महाधिवक्ता हरियाणा व पी.एस. दुहान, उप-महाधिवक्ता हरियाणा।

निर्णय

एस.एस. सोधी, न्यायाधिपति

(1) जो मामला इस अपील में विचार के लिए उद्भूत होता है, वह अनधिकृत व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक सड़क पर बिना देखे छोड़े गए वाहन को चलाने के कारण हुई दुर्घटना में हुए नुकसान के लिए चालक और उसके मालिक के दायित्व के संबंध में है।

(2) जिन परिस्थितियों में यह सवाल उठा है, वह यह है कि एक सात साल की लड़की, सरोज, अपने स्कूल से सड़क पर अभी-अभी आई थी, जब एक ट्रैक्टर आया और उसे कुचल दिया। उस समय लगी चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। यह दुर्घटना 13 दिसंबर, 1974 को न्यू रेलवे रोड, गुड़गांव पर सेंट क्रिस्पिन हाई स्कूल के ठीक सामने लगभग 1 P.M. पर हुई थी। ट्रैक्टर लोक निर्माण विभाग (बी एंड आर) विभाग का था।

(3) प्राधिकरण का यह निष्कर्ष था कि दुर्घटना पूरी तरह से ट्रैक्टर चालक के ट्रैक्टर को उतावलेपन और लापरवाही से चलाने के कारण हुई थी। इसका चालक ज़िले सिंह था, जो हालांकि इसे चलाने के लिए

अधिकृत नहीं था और इसके परिणामस्वरूप न तो हरियाणा राज्य और न ही संबंधित कार्यकारी अभियंता को प्रतिनियुक्त रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता था। इस मामले में मुआवजे के भुगतान का दायित्व अकेले ज़िले सिंह का था। दावेदार, जो कि मृतक सरोज के माता-पिता थे, उनको मुआवजे के रूप में 8,000 रुपय की राशि दी गई थी।

(4) अभिलेख पर मौज़ूद साक्ष्य से पता चलता है कि ट्रैक्टर का चालक वास्तव में नरिंदर कुमार था। यह उसकी गवाही थी कि इरोस सिनेमा से डाकघर तक ट्रैक्टर ले जाते समय वे रास्ते में रुक गया और सड़क के किनारे ट्रैक्टर खड़ा कर दिया और पानी पीने के लिए एक दुकान में चला गया। जब वह गया, तो उसने ट्रैक्टर के इंजन को चालू छोड़ दिया। कहा जाता है कि तब जिले सिंह ट्रैक्टर को लेकर चला गया। ज़िले सिंह न तो प्रत्यर्थियों का कर्मचारी था और न ही वह किसी भी तरह से ट्रैक्टर चलाने के लिए अधिकृत था।

(5) यह सुस्थापित है कि स्वामी को अपने नौकर के कार्यों के लिए प्रतिनियुक्त रूप से उत्तरदायी ठहराने के लिए, वह कार्य या तो स्वामी द्वारा अधिकृत एक गलत कार्य होना चाहिए या स्वामी द्वारा अधिकृत कुछ कार्य को करने का गलत और अनधिकृत तरीका होना चाहिए। यहाँ दावेदारों के अधिवक्ता श्री एम.एस. लिब्रहान का तर्क था कि इस मामले में प्रतिनियुक्त दायित्व तब उत्पन्न होना माना जाना चाहिए, जब नरिंदर कुमार ट्रैक्टर को चालू छोड़ पानी पीने गया। तर्क यह था कि इस तरह से ट्रैक्टर छोड़ना चालक के रूप में अपने रोजगार के दौरान ट्रैक्टर चलाने का अधिकृत कार्य करने का एक गलत और अनधिकृत तरीका था।

(6) वर्तमान मामले के निस्तारण के लिए, लैथम बनाम आर.जॉनसन एंड नेफ्यू लिमिटेड[1] को दृष्टिगत रखना उचित होगा, जहां हैमिल्टन, न्यायाधिपति ने कहा कि "एक व्यक्ति जो सामान्य देखभाल की उपेक्षा में, अपनी संपत्ति को ऐसी स्थिति में रखता है या छोड़ देता है जो किसी अन्य के लिए खतरनाक हो सकती है, परिणामी चोट के लिए उत्तरदायी हो सकता है, भले ही किसी तीसरे व्यक्ति या स्वयं वादी

[1] (1913)1 K.B.D. 398

के हस्तक्षेपकारी कार्य ना किए बिना वह चोट ना लगी होती। बाल्यावस्था के मनमौजीपन में कार्य करने वाले बच्चे और व्यक्तिगत खतरे के आवेग पर कार्य करने वाले वयस्क इस तरह की प्रारंभिक लापरवाही से लेकर बाद की चोट तक फैले कारण की एक श्रृंखला में केवल कड़ी हो सकते हैं और अक्सर होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसा हस्तक्षेप करने वाला व्यक्ति दुर्घटना का मुख्य कारण है, लेकिन जब तक हस्तक्षेप एक नया और स्वतंत्र कारण नहीं है, तब तक मूल लापरवाही का दोषी व्यक्ति प्रभावी कारण होगा, अगर उसे उचित रूप से इस तरह के हस्तक्षेप का अनुमान था और यह अनुमान लगाना चाहिए था कि यदि हस्तक्षेप हुआ तो परिणाम यह होगा कि उसकी लापरवाही से शरारत होगी"

(7) इसी प्रकार रौफ बनाम लॉन्ग एंड कंपनी[2] में न्यायमूर्ति लश ने कहा, "हमें इस हद तक अभिनिर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है कि किसी व्यक्ति को वैध रूप से राजमार्ग पर बिना देखे खड़े वाहन को छोड़कर किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेपकारी कार्य के माध्यम से नुकसान के लिए किसी भी परिस्थिति में जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती हैं कि उसे यह स्वीकार करना चाहिए कि वह प्रलोभन या निमंत्रण दे रहा था। दूसरे को वाहन को गति देने के लिए और उस खतरे के परिणामस्वरूप तीसरे व्यक्ति हो सकते हैं। दुर्घटना की श्रृंखला पूरी हो सकती है, हालांकि श्रृंखला में एक कड़ी किसी तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप कार्य है। लेकिन जो कार्य शरारत का कारण बनता है वह ऐसा होना चाहिए जिसका वह ठीक से अनुमान लगाएगा।

(8) उपर्युक्त वर्णित दो निर्णय विचार हेतु इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष गंगा शुगर कॉरपोरेशन लिमिटेड, देवबंद और अन्य बनाम सुखबीर सिंह और अन्य[3] के मामले में आए थे। यह एक ऐसा मामला था जहाँ जीप का चालक इग्निशन की चाबियाँ जीप में छोड़ कर चला गया था। उसकी अनुपस्थिति में किसी ने जीप चलाई और दुर्घटना कारित हुई। चालक और जीप के मालिक दोनों को प्रतिनियुक्त रूप से उत्तरदायी ठहराया गया था। राजमार्ग पर वाहनों को बिना देखे छोड़ने वाले चालक और मालिकों के दायित्व से आम तौर पर निपटने में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि कानून ऐसा प्रतीत होता हैः

---

[2] (1916) 1 K.B. 148
[3] 1973 A.C.J. 449

(1) यह सही नहीं है कि प्रत्येक मामले में जहां नुकसान किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप से होता है, चालक और मालिक उत्तरदायी नहीं हैं;

(2) चालक और परिणामस्वरूप ऐसे मामलों में मालिक उत्तरदायी है यदि चालक प्रारंभिक लापरवाही का दोषी था और यदि, एक उचित व्यक्ति की तरह, वह तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप का अनुमान लगा सकता था; और

(3) चालक और परिणामस्वरूप मालिक उत्तरदायी नहीं होंगे यदि नुकसान नए स्वतंत्र कारण की वजह से हुआ है, जिसका उन परिस्थितियों में, एक उचित व्यक्ति की तरह, चालक अनुमान नहीं लगा सकता था।

उपर्युक्त वर्णित कानून के आलोक में और इस मामले में स्थापित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अर्थात्, कि चालक ने पानी पीने के लिए जाने पर ट्रैक्टर के इंजन को चालू छोड़ दिया था, इस निष्कर्ष से बचा नहीं जा सकता है कि ट्रैक्टर का चालक और उसका मालिक भी वास्तव में इस मामले में दावेदारों को मुआवजे के भुगतान के लिए प्रतिनियुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। प्राधिकरण के निर्णय को तदनुसार संशोधित किया जाता है और यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि प्रत्यर्थीगण इस मामले में मुआवजे के रूप में दी गई राशि के भुगतान के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से उत्तरदायी हैं। दावेदार आवेदन की तारीख से राशि के भुगतान की तारीख तक 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से दी गई राशि पर ब्याज के भी हकदार होंगे।

(9) यह अपील परिणामस्वरूप ख़र्चे के साथ स्वीकार की जाती है। अधिवक्ता का शुल्क 300 रुपए।

अस्वीकरण :-

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय अपीलार्थी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

ऋषभ अग्रवाल
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी, हरियाणा।
UID NO.:- HR0675